

| | | |
|---------------------|--------------------------------|---|
| आदेश की क्रम संख्या | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणीतारीख सहित। |
|---------------------|--------------------------------|---|

11/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। वाद के अभिलेख में खाता संख्या एवं रकबा दर्ज है परन्तु प्लॉट संख्या दर्ज नहीं है। अतः राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि उक्त का प्लॉट संख्या स्थानीय एवं राजस्व अभिलेखों से जाँच कर प्रतिवेदन दिनांक 25.11.2020 तक प्रस्तुत करें।

सुनवाई की अगली तिथि 26.11.2020 को निर्धारित की जाती है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

26/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार स्थानीय जाँच एवं राजस्व अभिलेखों के जाँच से उक्त वाद के प्लॉट संख्या का पता नहीं चल सका।

अतः उक्त वाद को निरस्त कर अभिलेख को बन्द करते हुए वाद संख्या 424/16-17 की कार्रवाई समाप्त की जाती है। कार्यालय वाद के अभिलेख को अभिलेखागार में रखें।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।